पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.19 से 31.03.22

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.19 से 31.03.22 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत रहे :-

अध्यक्ष :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री सोनी कुमार	01.04.19 से 31.01.21
2	श्री हरीश कुमार शर्मा	01.02.21 से लगातार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री अभिनीत कात्यान, बी०डी०ओ०	01.04.2019 से 06.07.19
2	श्रीमति अश्मिता ठाकुर बी०डी०ओ०	08.07.2019 से लगातार

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनांक 01.06.22 द्वारा अनुरोध करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०) द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के तहत प्रमाणित किया गया कि हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 01-04-19 से 31-03-22 तक की अवधि का इस पंचायत समिति का यह प्रथम अंकेक्षण है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.19 से 31.03.22 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं०	राशि (लाखों में)
1.	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने बारे	4.4	1.83
2.	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली शेष	6	0.79
3.	कर्मचारी आवास की बकाया राशि की वसूली शेष	8	0.08
4.	अनुदान राशि का उपयोग न करना	12	125.90
5.	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	13	13.26
6.	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करना	15	3.01

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2019 से 03/2022 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01.06.22 से 04.06.22 तक तथा श्री नरेन्द्र कुमार, आ.स. (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 01.06.22 से 10.06.22 तक पंचायत समिति कार्यालय हमीरपुर में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2019-20	12/2019	01/2020
2020-21	11/2020	03/2021
2021-22	09/2021	03/2022

अस्वीकरण: इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र.

राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व मात्र चयनित माहों तक सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

पंचायत समिति हमीरपुर, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2019 से 3/2022 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹9400 आँका गया है । अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन(एस०ए०डी०)/एच०एम०आर०/2021-22/-06 दिनांक 10-06-22 द्वारा अनुरोध किया गया । जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा-हमीरपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या-158855 दिनांक 22.06.22 द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

पंचायत समिति हमीरपुर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/सूचना के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.19 से 31.03.22 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति **संलग्न परिशिष्ट-1** में दिये गए विवरणानुसार निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रोत: (क)

Year	Opening Balance	Receipt During the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	522283	320599	842882	203009	639873
2020-21	639873	790306	1430179	218773	1211406
2021-22	1211406	649029	1860435	230678	1629757

(ii) अनुदान:(खाता ख व अनुदान)

Year	Opening Balance	Receipt During the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	5124381.00	22086764.00	27211145.00	17869216.80	9341928.20
2020-21	9341928.20	21366053.00	30707981.20	23679940.00	7028041.20
2021-22	7028041.20	29635622.70	36663663.90	24074128.70	12589535.20

(iii) दिनांक 31.03.2022 को ग्राम पंचायत समिति के बैंक खातों में निम्न विवरणानुसार एवं **"संलग्न परिशिष्ट-2"** अनुसार अन्तिम शेष:- 14216646.29

DETAIL OF CLOSING BANK BALANCE(S) AS ON 31-03-2022 in r/o PANCHAYAT SAMITI Hamirpur					Pass books C/B on 31-03-2022	FP closing balance	Difference (PB-FP)	Cash Book C/B	Difference (FP-CB)
S.N	BANK NAME	Head	ACCOUNT NO.	AMOUNT					
1	Bank of Baroda HMR	GCB- A	69260100004656	1627881.00	1627881.00	1629757.00	-1876.00	1627281	2476.00
2	IDBI HMR	GCB-B	103810400004 3740	3605306.00	3856040.00	3855794.00	246.00	3677887	177907.00
3	KCCB HMR	GCB-B	200050 13607	250734.00					
4	PNB HMR	5TH STATE FC (P/SAMITI & ZP)	8700000100010494	889480.00	2464182.99	2465198.90	-1015.91	2465297.70	-98.80
5	UCO HMR	13TH FIN (PS & ZP)	11500110082744	1507538.00					
6	PNB HMR	13TH FIN (PS & ZP)	02110001092 57622	7473.69					
	Corporation bank HMR	5TH STATE FC(P/SAMITI & ZP)	51010100710 02053	59691.30					
7	IDBI HMR	RGSA	10381040000 42273	517712.00	517712.00	517712.00	0.00	517712.00	0
8	HDFC HMR	15th FC	50100319722181	5750830.30	5750830.30	5750830.30	0.00	5750830.3	0.00
	TOTAL BALANCE			**14216646.29**					
	CASH IN HAND			0.00					
G.TOTAL				**14216646.29**	14216646.29	14219292.20	-2645.91	14039008.00	180284.20

(iv) बैंक समाधान विवरणी:

दिनांक **31-03-2022** को पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति अनुसार स्व:स्त्रौत आय का कुल अंतिम शेष	1629757.00
दिनांक **31-03-2022** को पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति अनुसार अनुदान का कुल अंतिम शेष	125895 35.20
योग	**14219292.20**
दिनांक **31-03-2022** को पंचायत समिति के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार कुल अंतिम शेष	**14216646.29**
दिनांक 31-03-2022 को हस्तगत नगद शेष	0.00
दिनांक 31-03-2022 को हस्तगत नगद शेष व बैंक शेष	**14216646.29**
शुद्ध अंतर की राशि	**2645.91**

4.1 वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹1.83 लाख का अन्तर :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अपेक्षित है।

उक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारण दिनांक 31-03-22 को पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत वितीय स्थिति एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में पूर्वोक्त पैरा -4 (3) विवरणानुसार ₹2645.91 का समेकित अंतर पाया गया तथा रोकड़ बहियों एवं वितीय स्थिति में राशि ₹180284.20 का अंतर पाया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 60 दिनाँक:04.06.22 व 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि कैश बुक व पास बुक का मिलान करने उपरांत अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अतिशीघ्र अन्तर का मिलान किया जाए एवं भविष्य में रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से समय-2 पर मिलान करना सुनिश्चित करें तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

5. रोकड़ बही बनाए रखने संबंधी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 15 में रोकड़ बही बनाने संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। जबकि अवधि 04/2019 से 03/2022 तक रोकड़ बहियों का शीर्षवार व माहवार मिलान नहीं किया गया था जोकि एक अनियमितता है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि अनुपलनार्थ कर्मचारियों को आदेश दे दिये गए हैं। अत: नियमानुसार पास बुक एवं रोकड़ बही का शीर्षवार /माहवार मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. दिनांक 31.03.22 को दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹0.79 लाख की वसूली बारे:-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट- 3** में प्रस्तुत किराया सूची के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.22 को दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹79100 वसूली हेतु शेष थी। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि सभी किरायेदारों को बकाया राशि ₹79100 की वसूली बारे नोटिस जारी किये गए हैं और अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अत: कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा पंचायत समिति की स्व स्त्रोतों की प्राप्ति नियमित रूप से करनी सुनिश्चित की जाए।

7. दुकानों को अनुबंध किये बिना किराये पर देने बारे:-

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अनुबंध/इकरारनामा किये बिना दुकाने किराये पर दी गईं थीं। यह एक अनियमितता है जोकि पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि

शीघ्र ही सभी किरायेदारों के नए किराये के साथ अनुबंध किये जाएंगे । अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दी जायेगी । अत: यथाशीघ्र ही समस्त किरायेदारों से अनुबंध/इकरारनामा किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. कर्मचारी आवास (staff quarter) की बकाया राशि ₹0.08 लाख की वसूली बारे:-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट- 4** में प्रस्तुत किराया सूची के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.22 को स्टाफ कवाटर की बकाया राशि ₹8000 वसूली हेतु शेष थी । इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि स्टाफ कवाटर में रह रहे कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है और वसूली शीघ्र ही कर ली जायेगी तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दी जायेगी । अत: कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. 15th वितयोग की रोकड़बही का रख-रखाब न करने बारे:-

अवधि 08/20 से 03/22 तक 15th वितयोग की रोकड़बही का रख-रखाब नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 15th वित्तयोग की वित्तीय स्थिति पास बुक के आधार पर तैयार की गई । इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि 15th वित्तयोग की रोकड़बही का रख-रखाब कर लिया जायेगा तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अत: वांछित अभिलेख का रख-रखाव यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. चयनित माह की आय के अवलोकन के दौरान पंचायत समिति हॉल की बुकिंग से प्राप्त निम्नानुसार राशि ₹3000 से संबन्धित अभिलेख व बुकिंग प्रार्थना पत्र अंकेक्षण के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत न करने व बुकिंग रजिस्टर का रख-रखाब न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771

दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि बुकिंग प्रार्थना पत्र व बुकिंग रजिस्टर का रख-रखाव आगामी के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

दिनांक	रसीद संख्या	राशि
12.12.19	1755	1000
26.12.19	1757	1000
23.09.21	1790	1000
	कुल	**3000**

अत: वांछित रिकार्ड आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत किये जाएँ तथा बुकिंग रजिस्टर का रख-रखाव यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)2016-5072-5095 दिनांक 24-01-2018 में दिये गए निर्देशों के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएं दिनांक 31-03-18 को या उससे पहले कैश बुक के ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे और उसके बाद मैनुअल मोड बंद कर दिया जाएगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि ऑनलाइन रोकड़ बही निकाल ली जायेगी तथा आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत कर दी जाएंगी। अत: इस संदर्भ में कृत अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाते हुये ऑनलाइन कैश बुक की प्रति अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित करें तथा भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप से ऑनलाइन रोकड़बही का रख-रखाब किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12. राशि ₹125.90 लाख की अनुदान राशि का उपयोग न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पंचायत समिति हमीरपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास खण्ड हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्यों हेतु 12589535 के अनुदान की राशि प्राप्त की थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है। जांच में पाया कि निर्माण कार्यों का निष्पादन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं किया गया था एवं न ही पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही अमल मे लाई गई, जिस कारण से एक तो पंचायत के लोगों को निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ा एवं निर्धारित उदेश्यों की भी पूर्ति न हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक

10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि अनुदान राशियों को जारी/खर्च करने उपरांत की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा । अत: कृत अपेक्षित कार्यवाही व दिनांक 31.03.22 तक उपयोग न की गई अनुदान राशियों की वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13. ₹13.26 लाख के निर्माण कार्यों आदि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिये गये अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गये हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया कि चयनित माह में निम्नलिखित अनुदान पंचायत समिति द्वारा विकास खण्ड हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों को जारी किए गये थे लेकिन इन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत/प्राप्त नहीं किए गये थे । अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं को आदेश दे दिये गए हैं कि सभी कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएँ तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

क्र. संख्या	**वाउचर संख्या दिनांक**	**कार्य का नाम**	**पंचायत/ विभाग का नाम**	**राशि (₹)**
		15th FC		
1.	--/ 20.03.21	C/o Ambulance road towards ranjit house to gugga mandir	GP Jangal Ropa	80000
2.	1/ 17.03.22	C/o Pipe line for disposed of grey water in vill chamsai	GP ser balouni	40000
3.	2/ 17.03.22	C/o Drain & tank harijan basti balouni	GP ser balouni	40000
4.	3/ 17.03.22	Upgradation of play ground near rest house balouni	GP ser balouni	60000

5.	4/ 20.03.22	Installation of water cooler w.no.7 cpmmunity land near ravinder	GP Darogan pati kot	30000
6.	5/ 20.03.22	Installation of water cooler in main market near shop hoshiar singh	GP Darogan pati kot	30000
7.	6/ 20.03.22	c/o solar light vill thana near the h/o prakash gp kot	GP Darogan pati kot	15000
8.	7/ 20.03.22	C/o fsolar light vill dhulana near the h/o saroj kumara	GP Darogan pati kot	15000
9.	8/ 20.03.22	Water cooler ayurvedic dispensary vill jhaleri	GP Majhog sultani	50000
10.	9/ 20.03.22	c/o link road main road towards kartar chand house muthan chambyania	GP KUTHERA	40000
		5th SFC (ZP)		
11.	--/01.01.20	c/o sampark marg from ghs bari to bouri	GP Pharnol	60000
12.	--/01.01.20	c/o link road desh raj house to vill khaggal	GP Neri	80000
13.	--/01.01.20	Lab equipment to gsss nalti	GP Nalti	23000
14.	--/13.01.20	r/o sampark marg from vill har masiana	GP Jangal Ropa	17193
15.	--/13.01.20	c/o smapark marg mandir to dudhana lohian	GP brahalari	43845
16.	--/23.12.20	c/o Ambulance road chal buhla	GP Bassi jhaniara	80000
17.	--/23.12.20	c/o sampark marg papal road to piar lal vill julhin	GP KOT	27629
18.	--/30.01.20	c/o road ghartheri bhulal	GP sasan	31330

-27-

19.	--/30.01.20	Purchase of swing machine	GP Kot	20000
20.	--/30.01.20	c/o play ground	GP Ser balouni	60000
21.	--/30.01.20	c/o Rural road from hanuman temple	GP deika naun	40000
22.	--/30.01.20	c/o Rain shelter in vill dib	GP Bassi jhaniara	60000
23.	--/30.01.20	Purchasing of stitching machine	GP Nalti	30000
24.	--/02.03.22	c/o Rain shelter in vill banalt	GP Pharnol	130000
25.	--/02.03.21	c/o Ambulance road ashok house to vill julhin	GP KOT	12603
26.	--/02.03.21	c/o Ambulance road house of karam chand house of savitaram	GP amroh	95980
27.	--/02.03.21	c/o Ambulance road main road to panchayt ghar tibbi	GP Tibbi	30000
28.	--/02.03.21	c/o Sarak bouri to h/o kartar singh house w-3	GP Majhog Sultai	70081
29.	--/19.03.21	Last instalement letter no 7922 dt. 19.03.21	GP Pharnol	4400
30.	--/19.03.21	c/o Smapark marg khad to kamo devi house	GP Ropa	10000
			Total	**1326061**

अत: प्रस्तुत तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि तथा प्रगतिशील कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करवा कर उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित से प्राप्त कर तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. दिनांक 08.03.21 को राशि ₹25000 श्री संदीप कुमार, लिपिक को स्टेशनरी इत्यादि का क्रय हेतु प्रदान करने व सामग्री का क्रय किए बिना ही उक्त राशि को दिनांक 14.09.21 को वापिस करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके

प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि कर्मचारी द्वारा राशि ₹25000 की अग्रिम राशि लेने उपरांत मुद्रण विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के साथ दूरभाष पर कई बार वार्ता की गई परंतु विभाग द्वारा काफी समय बाद असमर्थता व्यक्त की गई। उसके बाद कर्मचारी द्वारा ली गई अग्रिम राशि कार्यालय में जमा करवा दी गई है तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं दोहराई जाएगी।

अत: तथ्यों व आंकड़ों पुष्टि करवाते हुए कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा स्टाफ अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

15 औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹3.01 लाख की सामग्री का क्रय करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66, 67(3),(4), 67(5), 69,70 एवं 97 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय,स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (कुटेशन्स/निविदायें, आपूर्ति आदेश, स्टोर(सामान) की उचित स्थिति और विनिर्देश के अनुसार प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र, इंडेंट व स्टॉक एंट्री इत्यादि) प्रावधित हैं। चयनित माह के चुनिन्दा वाउचरों की जांच में पाया गया कि निम्नानुसार राशि ₹301149 सामग्री का क्रय निविदाएँ इत्यादि लिए बिना व स्टॉक प्रविष्टि व खपत इत्यादि दर्शाये बिना किया गया। जोकि एक अनियमितता है :-

वाउचर/ दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
		5th SFC		
--/02.03.21	1695/15.02.21 व 1730/19.02.21	शिव गणपती से 120 स्केयर फुट ग्रेनाइट व स्लैब का क्रय	10080	स्टॉक प्रविष्टि व खपत न दर्शाना तथा कुटेशन व मांग पत्र लिए वगैर क्रय करना
--/02.03.21	195/07.02.21	मँगत राम & सनज से 11 बैग सीमेंट का क्रय	4510	स्टॉक प्रविष्टि व खपत न दर्शाना तथा हि प्रदेश सिविल सप्लाई से क्रय करने की बजाय खुले बाजार से क्रय करना
--/02.03.21	60/23.02.21	कांगू स्टील वर्क्स से 860 kg लोहे का गेट व 180 kg ब्लैक शीट का क्रय	100259	स्टॉक प्रविष्टि व खपत न दर्शाना
--/02.03.21	2846/22.02.21	जगोता इंटरप्राईजज	2200	स्टॉक प्रविष्टि व खपत न दर्शाना
--/02.03.21	--/23.02.21	प्रीतम चंद, सरकारी	25850	स्टॉक प्रविष्टि व खपत न दर्शाना।

		ठेकेदार से 1 m3 बजरी व 2 m3 रेता की खरीद व लेवर अदायगी		
28.03.21	--/22.02.21 (खाता-क)	धर्मवीर ट्रेडर्स को 140 नंबर लंच व सूप हेतु अदायगी	9900	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
08/13.01.20	351 व 352/30.12.19 खाता क	चौधरी टी स्टॉल को लंच हेतु अदायगी (7800+2340)	10140	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
09/15.01.20	503/13.12.19 खाता क	हिमकोन कम्पुटर को प्रिन्टर हेतु अदायगी	9650	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना व क्रय खुले बाज़ार से बिना हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर करना।
		RGSA		
2/19.03.21	101/06.03.21	विशाल चिकन कॉर्नर को अवधि 01.03.21 से 06.03.21 तक PRI ट्रेनिंग हेतु लंच इत्यादि कीअदायगी	38760	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
1/19.03.21	149/06.03.21	चौधरी टी स्टॉल को चाय बिस्कुट हेतु अदायगी	9600	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
--/26.03.21	104/26.03.21	विशाल चिकन कॉर्नर को अवधि 18.03.21 से 20.03.21 व 23.03.21 से 25.03.21 तक PRI ट्रेनिंग हेतु लंच इत्यादि कीअदायगी	38760	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना

--/26.03.21	164/25.03.21	चौधरी टी स्टॉल को चाय बिस्कुट हेतु अदायगी	9600	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
--/26.03.21	159/19.03.21	चौधरी टी स्टॉल को चाय बिस्कुट हेतु अदायगी	6400	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
--/26.03.21	160/14.3.21	विशाल चिकन कॉर्नर को अवधि 8.03.21 से 11.03.21 तक PRI ट्रेनिंग हेतु लंच इत्यादि कीअदायगी	25440	कुटेशन इत्यादि औपचारिकता पूर्ण न करना
	कुल		**301149**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि बुनयादी प्रशिक्षण दिलवाने हेतु लंच व चाय इत्यादि की कुटेशन कार्यालय में अलग से फाइल में लगाई गई थी जोकि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: वांछित रिकार्ड (कुटेशन इत्यादि) उचित माध्यम से ढूंढकर आगामी अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पैरा में दर्शाई गई मदों का स्टॉक इंद्राज व खपत संबन्धित स्टॉक/MAS रजिस्टर में करने उपरांत वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय, प्राप्ति, भंडारण एवं निर्गमन आदि औपचारिकतायें नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त अदायगियों से सम्बन्धित लंच व चाय इत्यादि की कुटेशन तथा क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि व खपत इत्यादि दर्शाकर, आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त खरीदी गई सामग्री की विभागीय स्तर पर जांच कर, जिसका लेखांकन संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया हो, की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी क्रय प्रत्येक सामग्री का लेखांकन एवं खपत संबंधी समुचित एवं पारदर्शी अभिलेख नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिस सामग्री की कुटेशन इत्यादि नहीं ली गई है, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही कुटेशन इत्यादि आमंत्रित करते हुये बाज़ारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31,72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का समुचित/ पारदर्शी ढंग से रख रखाव नहीं किया गया था एवं जो कुछ एक रजिस्टर बनाए भी गए थे वे स्पष्ट व सही स्थिति परिलक्षित नहीं करते थे, जो न केवल अनियमित व आपतिजनक बल्कि हि० प्र० पंचायती राज उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या संख्या: 05 दिनांक 10.06.22 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उनके कार्यालय पत्रांक 1771 दिनांक 15.06.22 के माध्यम से सूचित किया गया कि अनुपालनार्थ कर्मचारियों को आदेश दे दिये गए हैं । अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का समुचित रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्ररूप	सन्दर्भित नियम
1.	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर	4	13 (5)
2.	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997	8	34
3.	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
4.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
5.	टीए चैक रजिस्टर		
6.	अग्रिम राशि एवं समायोजन रजिस्टर		

17 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73(1) के अन्तर्गत सारे स्टोर (सामान) का वस्तुगत सत्यापन पंचायत समिति की दशा में संबद्ध सचिव द्वारा कम से कम छह मास में एक बार और प्रत्येक वर्ष अप्रैल में किया जाएगा। सत्यापन

का परिणाम लिखित में अभिलिखित किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन के दौरान प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्टाक रजिस्टर में इसके सामने उपदर्शित की जाएगी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :08 दिनांक 14-03-2022 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को इस बारे सूचना हेतु अनुरोध किया गया था जिसके संदर्भ में पंचायत समिति से अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जोकि स्वत: आपत्तिजनक है एवं स्वत: स्पष्ट करता है कि अवधि 04/2019 से 03/2022 तक नियमानुसार सारे स्टोर (सामान) का वस्तुगत सत्यापन नहीं किया गया था। जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अत: इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/पृ0

7476-7478 09 DEC 2022

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv) (vi) 114/22 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर जिला हमीपुर हि0प्र0।

पंजीकृत 3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

09 DEC 2022

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/पृ0

परिशिष्ट – 1 पैरा 4 (1 से 2) में वर्णित

FINANCIAL POSITION OF PANCHAYAT SAMITI HAMIRPUR

OWN SOURCES

Year	Opening Balance	Reciept During the year	Total	Expenditure	Closing Balance		
2019-20	522283	320599	842882	203009	639873		
2020-21	639873	790306	1430179	218773	1211406		
2021-22	1211406	649029	1860435	230678	1629757	1627881.00	1876.00

GRANT IN AID/13THFC/14THFC

Year	Opening Balance	Reciept During the year	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	5124381.00	22086764.00	27211145.00	17869216.80	9341928.2
2020-21	9341928.20	21366053.00	30707981.20	23679940.00	7028041.2
2021-22	7028041.20	29635622.70	36663663.90	24074128.70	12589535.2
	Closing Bank Balance on 31-03-22 as per record produced				14219292.20
	Closing balance as per pass books as on 31.03.22				14216646.29
	Difference				2645.91

Note:- 1) Actual opening balance as on 01.04.19 was to be taken as Rs.519807 instead of Rs. 522283. Because cash book page77 on dated 24.09.18 closing balance was Rs.505577 but taken in next day opening i.e. 27.09.18 Rs.508052 caused which create difference of Rs.2475 (Own sources a/c-A).

Similarly, As per cash book page 83 there was closing balance of Rs. 503982 on dated 02.02.19 which was wrongly carried forward on dt. 11.02.19 Rs. 503983 which caused difference Rs. 1 (Own sources a/c-A).

2) Rs.20000 on dated 17.10.17 taken in cash book receipt side at Page-56 instead of Rs. 20600 ,which was deposited in bank. Hence diffrence of Rs. 600 has been corrected on dated 09.05.22 at cash book page -146 (Own sources a/c-A).

(A.A)

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

-34-

परिशिष्ट-1 पैरा 4 (2) में वर्णित व पैरा-12

Financial Postion of Grant In Aid of PANCHAYAT SAMITI HAMIRPUR For the Year 2019-20						
Sr. No.	Particular	Opening Balance	Reciept During the year	Total	Expenditure	Balance
1	GCB-B	1179462.00	20769638.00	21949100.00	15759105.00	6189995.00
3	5TH STATE P/S+ZP+13th ZP	3944919.00	296378.00	4241297.00	2110111.80	2131185.20
4	RGSA	0.00	1020748.00	1020748.00	0.00	1020748.00
5	13th FC (ZP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	15th FC		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5124381.00	22086764.00	27211145.00	17869216.80	9341928.20

Financial Postion of Grant In Aid of PANCHAYAT SAMITI HAMIRPUR For the Year 2020-21						
Sr. No.	Particular	Opening Balance	Reciept During the year	Total	Expenditure	Balance
1	GCB-B	6189995.00	17224063.00	23414058.00	20276022.00	3138036.00
2	5TH STATE P/S+ZP+13th ZP	2131185.20	1665055.00	3796240.20	2245358.00	1550882.20
3	RGSA	1020748.00	223730.00	1244478.00	878560.00	365918.00
4	13th FC (ZP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	15 TH FC	0.00	2253205.00	2253205.00	280000.00	1973205.00
	Total	9341928.20	21366053.00	30707981.20	23679940.00	7028041.20

Financial Postion of Grant In Aid of PANCHAYAT SAMITI HAMIRPUR For the Year 2021-22						
Sr. No.	Particular	Opening Balance	Reciept During the year	Total	Expenditure	Balance
1	GCB-B	3138036.00	23707162.00	26845198.00	22989404.00	3855794.00
2	5TH STATE P/S+ZP+13th ZP	1550882.20	1364317.70	2915199.90	450001.00	2465198.90
3	RGSA	365918.00	466500.00	832418.00	314706.00	517712.00
4	13th FC (ZP)	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
5	15 TH FC	1973205.00	4097643.00	6070848.00	320017.70	5750830.30
	Total	7028041.20	29635622.70	36663663.90	24074128.70	12589535.20

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट - 2 पैरा 4 (3) में वर्णित

DETAIL OF CLOSING BANK BALANCE(S) AS ON 31-03-2022 in r/o PANCHAYAT SAMITI Hamirpur

S.NO.	BANK NAME	Head	ACCOUNT NO.	AMOUNT	Pass books C/B on 31-03-2022	FP closing balance	Difference (PB-FP)	Cash Book C/B	Difference (FP-CB)
1	Bank of Baroda HMR	GCB- A	6926010000 4656	1627881.00	1627881.00	1629757.00	-1876.00	1627281	2476.00
2	IDBI HMR	GCB-B	103810400004 3740	3605306.00	3856040.00	3855794.00	246.00	3677887	177907.00
3	KCCB HMR	GCB-B	20005013607	250734.00					
4	PNB HMR	5TH STATE FC(P/SAMITI & ZP)	8700000 100010494	889480.00	2464182.99	2465198.90	-1015.91	2465297.70	-98.80
5	UCO HMR	13TH FIN (PS & ZP)	11500110082744	1507538.00					
6	PNB HMR	13TH FIN (PS & ZP)	02110001092 57622	7473.69					
	Corporation bank HMR	5TH STATE FC(P/SAMITI & ZP)	51010100710 02053	59691.30					
7	IDBI HMR	RGSA	10381040000 42273	517712.00	517712	517712	0	517712	0
8	HDFC HMR	15th FC	5010031 9722181	5750830.30	5750830.30	5750830.30	0.00	5750830.3	0.00
	TOTAL BALANCE			14216646.29					
	CASH IN HAND			0.00					
	G.TOTAL			14216646.29	~~13698934.29~~ 14216646.29	~~13701580.20~~ 14219292.20	2645.91	~~13521296.00~~ 14039008	180284.20

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

(17)

(19)

परिशिष्ट-3 पैरा-6 में वर्णित

List of outstanding Shop Rent for the period 04/2019 to 31/03/2022 in r/o Panchayat Samiti Hamirpur

Y	OB	Demand	Total	Collection	Closing Balanc
2019-20	343200	131940	475140	267010	208130
2020-21	208130	131940	340070	80960	259110
2021-22	259110	131940	391050	311950	79100

परिशिष्ट-4 पैरा-8 मे वर्णित

List of outstanding qutr Rent for the period 04/2019 to 31/03/2022 in r/o Panchayat Samiti Hamirpur

Year	OB	Demand	Total	Collection	Closing Balanc
2019-20	11900	19200	31100	4800	26300
2020-21	26300	32000	58300	37300	21000
2021-2022	21000	34000	55000	47000	8000

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

(48)

ear

परिशिष्ट-3 (पैरा-6 में वर्णित)

List of outstanding Shop Rent as on 31-03-2022 in r/o Panchayat Samiti Hamirpur

Sr. No	Name Shop	Balance Amount Rs.	
1	MM Nadiana Sadiyana	17500	
2	HDO Office	7800	
3	Milk Fedration Mandi	3300	
4	Nanda Gas Agency	9900	
5	Tarun kumar c/o Mohan Industrie	23100	
6	Mehar Chand Chopra	0	
7	Sunit Medical Store	18450	
8	Pritam Piyare Near Police station	-950	Advance received
9	Kuldeep Sharma	0	
	Total	79100	

परिशिष्ट-4 (पैरा-8 में वर्णित)

List of outstanding Qutr. Rent as on 31-03-2022 in r/o Panchayat Samiti Hamirpur

Sr,. No	Name Shop	Balance	
1	Sh Vinod Kumar JE	1000	
2	Sh Sandeep Kumar Clerk	8000	
3	Sh Parvesh Kumar EO	-2000	Advance received
4	Smt. Lata Kumari P/Secty.	1000	
		8000	

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti Hamirpur
Distt. Hamirpur (H.P.)

(19)

(21)